Law of Torts - 2

LL.B. Three Year
IInd Sem.

&

LL.B. Five Year
VIth Sem.

~~UNIT~~ UNIT- V

Consumerism in India.
chief characteristics of the consumer Protection Act. Definition:- consumer-
who is not a consumer?.
Goods, service, ~~of~~ consumer dispute
Defect- meaning of defect in goods.
standard of purity quality, quantity & purity
Deficiency - what is deficiency in service?
Restrictive trade practices and unfair trade practices.
Consumer for a under the consumer protection Act - District forum, state commission and National commission - constitution, Jurisdiction, powers and function
Remedies.

Scanned with CamScanner

Consumerism in India :- भारत में उपभोक्तावाद :-

उपभोक्तावाद शब्द सर्वप्रथम 1960 के दशक के मध्य में व्यवसाइयों द्वारा गढ़ा गया था उपभोक्तावाद को सामाजिक दबाव के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यवसाय पर उपभोक्ता दबावों का आयोजन करके बाजार में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिये बनाया गया है। उपभोक्तावाद अनुचित व्यापार प्रथाओं और व्यावसायिक अन्याय के खिलाफ उपभोक्ताओं का विरोध है।

इसका उद्देश्य उन अन्याय को दूर करना है और उन अनुचित विपणन प्रथाओं को समाप्त करना है जो गलत तरीके से गलत उत्पाद, असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, काल्पनिक मूल्य निर्धारण, भ्रामक पैकेजिंग, झूठे और भ्रामक विज्ञापन, दोषपूर्ण वारण्टी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी आदि के विरुद्ध प्रभावी कदम है।

उपभोक्ता आन्दोलन या उपभोक्तावाद का मूल कारण उपभोक्ता असंगति है क्योंकि इसे बहुत अच्छी तरह से कहा गया है असंतोष का अर्थ है संदेह, खरीददारी के बाद की निराशा। स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिये उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। वर्तमान में उपभोक्ताओं की नीति के मुद्दे अब राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे

नहीं रह गये हैं। सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हितों के लिये अपने दरवाजे खोलने के साथ उपभोक्ता मुद्दों को भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में समझने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिये सामान्य दिशानिर्देशों का एक एक सेट अपनाया है। ये निम्न लिखित हैं—

1- शारीरिक सुरक्षा
2- उपभोक्ता के आर्थिक हितों का संवर्धन व संरक्षण
3- उपभोक्ता वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिये मानक
4- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिये वितरण की सुविधा
5- उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने के उपाय
6- शिक्षा और सूचना कार्यक्रम
7- विशिष्ट क्षेत्रों (भोजन, पानी और फार्मास्यूटिकल) से सम्बन्धित उपाय।

भारत में उपभोक्ता अब उत्पादों व सेवाओं में मूल्य व गुणवत्ता की अपेक्षा रखते हैं। भारत के बाजार आज के दौर में अधिक परिष्कृत, अधिक संशयवादी और अधिक मांग वाले उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने में रुचि दिखा रहे हैं।

Scanned with CamScanner

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताये :—

यह अधिनियम तब तक सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी उत्पाद या सेवा को विशेष रूप से इस अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया जाता है।

यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक या सहकारी सभी क्षेत्रों पर लागू है।

उपभोक्ताओं के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो की प्रकृति नुकसान की भरपाई करना है।

यह अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में सुरक्षा प्रदान करता है।

उपभोक्ता अदालतें स्थापित कर उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है यह अधिनियम विस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान करता है।

1- जिला स्तर पर जिला फोरम
2- राज्य स्तर पर राज्य आयोग
3- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को सीमित अवधि में निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है।

Scanned with CamScanner

उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष में और उपभोक्ता की जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना के लिये इस अधिनियम में प्रावधान है।

परिभाषा :- धारा 2(d) -
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता हो सकता है -
(a) माल का उपभोक्ता
(b) सेवाओं का उपभोक्ता

इस प्रकार कोई व्यक्ति जो माल खरीदता या कोई सेवा या सेवायें लेता है उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है।

कौन उपभोक्ता नहीं है?
कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होगा यदि उसने कोई माल या सेवायें बिना कीमत अदा किये अर्थात मुफ्त में ली हैं अथवा कोई माल या सेवा व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु ली है।

इससे स्पष्ट है कि एक विक्रेता और एक खरीददार के बीच लेनदेन का सेव्यवहार होना चाहिये

श्रीमती पुष्पा मीणा ब० शाह एंटरप्राइजेज (राजस्थान) वि० - 1991 टैक्सी में चलाने

के लिये जीप खरीदी प्रश्न यह था कि क्या जीप का खरीददार अधि० के अन्तर्गत उपभोक्ता था। राजस्थान राज्य आयोग ने धारित किया कि लाभ कमाने के लिये टैक्सी के रूप में जीप का उपयोग करना एक व्यावसायिक उद्देश्य था और इसलिये खरीददार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आयेगा।

माल का अर्थ :- धारा 2 (i)

माल का अर्थ माल विक्रय अधिनियम 1930 में परिभाषित माल से है।

माल विक्रय अधि० 1930 की धारा 2(7) में माल को परिभाषित किया गया है —

माल से अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत आते हैं स्टाक, अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी ~~सम्पत्ति~~ भागभूति ऐसी चीजें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किये जाने का करार किया गया हो।

सेवा का अर्थ :-

उपभोक्ता संरक्षण अधि० की धारा 2(o) में सेवा को परिभाषित किया गया है।

सेवा का अर्थ किसी भी वितरण

Scanned with CamScanner

की सेवा है जो संभावित उपयोगकताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अन्तर्गत बैंकंकारी, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण विधुत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय बोर्ड या निवास अथवा दोनों गृह निर्माण, मनोरंजन आमोद प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुचाने के सम्बन्ध में सुविधाओं का प्रबन्ध भी है लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं है किन्तु इसके अन्तर्गत निशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का किया जाना नहीं है।

उपभोक्ता विवाद :-

उपभोक्ता विवाद को धारा 2(e) में परिभाषित किया गया है — उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों से इन्कार करता है या उनका प्रतिवाद करता है।

त्रुटि (Defect) :-

त्रुटि को उपभोक्ता संरक्षण अधि० की धारा 2(f) में परिभाषित किया गया है —

त्रुटि से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन बनाये रखना अपेक्षित है या जिसका रखे किसी माल

के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की रीति मे व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है, कोई दोष अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है।

अतः स्पष्ट है कि अधि० के अन्तर्गत केवल उन दोषों को मान्यता दी गई है जो परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और ऐसा दोष माल के सम्बन्ध मे ~~या सेवा के सम्बन्ध~~ मे होना चाहिये।

टी.टी.पी. लिमिटेड व० अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 1996 के वाद मे एक प्रेशर कुकर फट जाने के कारण उपयोग कर्ता को चोट लगी ~~व~~ अधिकरण ने धारित किया कि प्रेशर कुकर मे विनिर्माण दोष था।

कमी (Deficiency) :—

कमी को उपभोक्ता संरक्षण अधि० की धारा 2(g) मे परिभाषित किया गया है —

कमी से कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति जिसे तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन ~~अथवा किसी विधिक्षित या अभिव्यक्त संविदा के अधीन~~ बनाये रखना ~~किया जाना~~ है अपेक्षित है या जिसका ऐसे ~~किसी माल के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की रीति मे व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है, कोई दोष अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है~~।

किसी सेवा के सम्बन्ध मे किसी संविदा

Scanned with CamScanner

के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किये जाने का वचनबन्ध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है।

अतः कमी का अर्थ किसी भी दोष की अपूर्णता, गुणवत्ता, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में कमी या अपर्याप्तता है जिसे किसी विधि के अन्तर्गत या किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने के लिये उसे बनाये रखना ~~आवश्यक है~~ किसी भी सेवा के सम्बन्ध में या संविदा के सम्बन्ध में आवश्यक है।

अवरोधक व्यापारिक व्यवहार
Restrictive trade practice :- उपभोक्ता संरक्षण अधि० की धारा 2(nnn) में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को परिभाषित किया गया है -

अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसका आशय माल या सेवाओं से सम्बन्धित बाजार में कीमत में या उनके परिदान की स्थितियों में ऐसी रीति से व्यवहार कौशल दिखाने या प्रदायों के प्रवाह को प्रभावित करने का है जिससे उपभोक्ता पर अनुचित कीमतें या निर्बन्धन थोपे जा सकें और इसके अन्तर्गत -

(a) किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल के प्रदाय में या सेवायें प्रदान कराने में करार पाई गई अवधि के परे विलम्ब जिससे कीमत में वृद्धि

हुई है या वृद्धि होने की संभावना है
(b) ऐसा कोई व्यापारिक व्यवहार जो किसी उपभोक्ता से यथास्थिति, किसी अन्य माल या सेवा का क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की, किसी अन्य माल या सेवा का पुरोभाव्य शर्त के रूप में क्रय करने भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की अपेक्षा करता है, भी आता है।

अनुचित व्यापारिक व्यवहार
Unfair Trade practice :—

अनुचित व्यापारिक व्यवहार को उपभोक्ता संरक्षण अधि० की धारा 2 (r) में परिभाषित किया गया है—

अनुचित व्यापारिक व्यवहार से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी माल के विक्रय उपयोग या प्रदाय के संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिये अथवा कोई सेवा उपलब्ध कराये जाने के लिये, कोई अनुचित पद्धति अथवा अनुचित या प्रबन्धक व्यवहार जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कोई व्यवहार है, अपनाया जाता है, अर्थात —
(1) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्यरूपेण द्वारा कोई ऐसा कथन करने का व्यवहार जिसमें —
(i) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि माल किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी, माना

श्रेणी संरचना, अधिमान या माडल का है
(ii) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि सेवायें किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी या श्रेणी की हैं।
(iii) किसी ~~पुनर्निर्मित~~ पुनर्निर्मित, बरते हुये, नवीकृत दुरुस्त किये गये या पुराने माल के नया माल होने का मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है।
(iv) यह व्यपदेशन किया जाता है कि माल या सेवाओं को ऐसे प्रयोजन, अनुमोदन कार्यकरण, लक्षण, उपसाधन, प्रयोग या फायदे प्राप्त हैं जो कि ऐसे माल या सेवाओं के नहीं हैं
(v) यह व्यपदेशन किया जाता है कि विक्रेता या प्रदायकर्ता को ऐसा, प्रयोजन या अनुमोदन या सहबद्धता प्राप्त है जो ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को प्राप्त नहीं है
(vi) किसी माल या सेवाओं की आवश्यकता या उपयोगिता से सम्बन्धित कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन किया जाता है।
(vii) जनता को किसी उत्पाद के या किसी माल के निष्पादन, प्रभावकारिता या अस्तित्व की दीर्घता की जो उसके ~~पश्चात्~~ पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है, कोई वारण्टी या प्रत्याभूति दी जाती है —

परन्तु जहां इस आशय की ~~प्रत्याभूति~~ प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी वारण्टी या प्रत्याभूति पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा करता है

(viii) जनता को इस रूप में व्यपदेशन किया जाता है

Scanned with CamScanner

जो –

(a) किसी उत्पाद या किसी माल या सेवाओं की वारंटी या प्रत्याभूति या

(b) किसी वस्तु या उसके किसी भाग को बदलने उसके अनुरक्षण या उसकी मरम्मत करने अथवा कोई सेवा जब तक कि उससे कोई विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त न हो जाये पुनः करने या उसे जारी रखने का वचन,

देने के लिये तात्पर्यित है यदि ऐसी तात्पर्यित वारंटी या प्रत्याभूति या वचन तात्विक रूप से भ्रामक है अथवा यदि इस बात की कोई युक्ति-युक्ति संभावना नहीं है कि ऐसी वारन्टी-प्रत्याभूति या वचन का पालन किया जायेगा

(ix) उस कीमत के बारे में जनता को तात्विक रूप से भुलावा दिया जाता है जिस पर किसी उत्पाद या वैसे ही उत्पाद या माल या सेवा का मामूली तौर पर विक्रय किया जाता है अथवा वह उपलब्ध करायी जाती है तथा इस प्रयोजन के लिये कीमत के बारे में किसी व्यपदेशन को उस कीमत के प्रति निर्देश करने वाला समझा जायेगा जिस पर सुसंगत बाजार में साधारणतया वह उत्पाद या माल विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है, या सेवायें प्रदायकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं जब तक कि यह स्पष्टतया विनिर्दिष्ट न किया गया हो कि यह वह कीमत है जिस पर उस व्यक्ति द्वारा, वह उत्पाद विक्रय किया गया है, जिसके द्वारा या सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं जिसके निमित्त व्यपदेशन किया

गया है।

(x) ऐसे मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिये जाते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के माल, सेवाओ या व्यापार का अपकथन करते हैं

स्पष्टीकरण –

खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिये ऐसे कथन के बारे में जो —

(a) विक्रय के लिये प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु पर या उसके रैपर ~~वह~~ या आधान पर अभिव्यक्त है: या

(b) विक्रय के लिये प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु से संलग्न उसमें रखी हुई या उसके साथ की किसी चीज पर या किसी ऐसी चीज पर, जिस पर वह वस्तु संप्रदर्शित या विक्रय के लिये मढ़ी हुई है अभिव्यक्त है या

(c) किसी ऐसी वस्तु में या उस पर अन्तर्विष्ट है जो जनता को विक्रय की जाती है, भेजी जाती है परिदान की जाती है, पारेषित की जाती है या किसी भी अन्य रीति से उपलब्ध करायी जाती है,

यह समझा जायेगा कि वह ऐसा कथन है जो जनता को उस व्यक्ति द्वारा और केवल उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने उस कथन को इस प्रकार अभिव्यक्त कराया गया था या अन्तर्विष्ट कराया था।

जिला फोरम (District Forum)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 निम्नलिखित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों

की स्थापना करती है —
(1) जिला फोरम
(2) राज्य आयोग
(3) राष्ट्रीय आयोग

धारा 10 जिला फोरम

प्रत्येक जिला फोरम में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे इस दो सदस्यों में एक महिला होगी।

योग्यता :—

अध्यक्ष कोई जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के लिये अर्हित है, ऐसा व्यक्ति हो सकेगा।

अन्य सदस्य —

(i) कम से कम पैंतीस वर्ष की आयु के होंगे
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों
(iii) योग्य निष्ठा और प्रतिभा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें अर्थशास्त्र विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म उद्योग, लोककार्यकलाप या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान है और जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव है

नियुक्ति की प्रक्रिया धारा-10 (1A) :—

~~ऐसा~~ उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश से की जायेगी

चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे —
(i) राज्य आयोग का अध्यक्ष (अध्यक्ष)
(ii) राज्य सरकार में विधि ~~आयोग~~ विभाग का सचिव — (सदस्य)
(iii) राज्य सरकार में उपभोक्ता कार्य का व्यवहार करने वाला भारसाधक सचिव — (सदस्य)

पदावधि :—
जिला फोरम का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा।
धारा (10(2))

वेतन :— धारा 10(3) :—
वेतन भत्ते व अन्य मानदेय व सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

जिला फोरम की अधिकारिता धारा (11) :—
ये दो प्रकार की होती है —
(i) जिला फोरम को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल का मूल्य अथवा प्रतिकर की राशि 5000000 रु० से अधिक नहीं है।
(ii) क्षेत्रीय अधिकारिता

परिवाद करने की रीति धारा (12) :—
विक्रीत या परिदत्त या विक्रय या परिदान किये जाने के लिये करार किये

गये किसी माल या उपलब्ध करायी गयी या उपलब्ध करायी जाने के लिये करार की गई किसी सेवा के सम्बन्ध में कोई परिवाद निम्नलिखित के द्वारा जिला फोरम को किया जा सकेगा -

(i) वह उपभोक्ता जिसको विक्रीत किया गया है

(ii) कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम

(iii) जहां एक ही हित रखने वाले कई उपभोक्ता हों वहां उनमें से कोई या सभी -

(iv) परिवाद राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

परिवाद प्राप्त होने पर प्रक्रिया धारा (13).

जिला फोरम के विकल्प धारा (14) -

अपील :- धारा (15)

जिला फोरम के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य आयोग को अपील कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

State Commission (17)

राज्य आयोग :-

संरचना (धारा-16) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च-न्या० का न्यायाधीश है या रह चुका है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और जो उसका अध्यक्ष होगा तथा उसे उच्च न्या० के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही नियुक्त किया जायेगा।

दो अन्य सदस्य जिनको अर्थशास्त्र विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होगा या उससे सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की योग्यता होगी तथा इसमें एक महिला सदस्य होगी।

वेतन एवं पदावधि :- वेतन राज्य सरकार द्वारा विहित ~~की जायेगी~~ किया जायेगा।

प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक या 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा

राज्य आयोग की अधिकारिता धारा (17)

राज्य आयोग को निम्न-लिखित अधिकारिता होगी -

1- ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जहां माल

Scanned with CamScanner

या सेवाओं का मूल्य और दावा प्रतिकर यदि कोई है 5 लाख रु. से अधिक है परन्तु 20 लाख रुपये अधिक नहीं है

(2) उस राज्य के भीतर किसी जिला फोरम के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करना

(3) जहां राज्य आयोग को यह प्रतीत हो कि किसी जिला फोरम ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है।

राज्य आयोग की प्रक्रिया :—

जिला फोरम द्वारा परिवादों के निपटारे के लिये धारायें 12, 13, 14 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसे परिवर्तनों सहित जो आवश्यक हों राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटाने को लागू होगें

अध्यक्ष की नियुक्ति :—

जब यथा-स्थिति जिला फोरम या राज्य आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा

अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जो यथास्थिति जिला पीठ या राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अर्हित हो और जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

अपील :—

राज्य आयोग की अधिकारिता, ऐसे मामलों में जहां माल या सेवाओं का मूल्य या दावा प्रतिकर यदि कोई है 5 लाख रु० से अधिक है परन्तु २० लाख रु० से अधिक न हो परिवाद ग्रहण करने की है। उपरोक्त अधि-कारिता का प्रयोग करते हुये पारित राज्य आयोग के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है ऐसी अपील आदेश के दिनांक से ३०दिन के भीतर की जा सकती है।

परन्तु राष्ट्रीय आयोग ३०दिन के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाये कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय आयोग का गठन :— (धारा २०)

राष्ट्रीय आयोग

निम्न लिखित से मिलकर बनेगा —

Scanned with CamScanner

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्या॰ का न्यायाधीश है या रह चुका है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और जो उसका अध्यक्ष होगा

परन्तु इस उपखण्ड के अन्तर्गत कोई भी नियुक्ति भारत के मुख्यन्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

(ख) चार अन्य सदस्य जो योग्यता सत्य-निष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जिनका अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव होगा या उनसे सम्बन्धित समस्यायों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की योग्यता हो उनमें से एक महिला होगी।

परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा एक चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात —

(i) एक ऐसा व्यक्ति, जो उच्चतम न्या॰ का न्यायाधीश है जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा, अध्यक्ष होगा

(ii) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग का सचिव सदस्य होगा

(iii) भारत सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग सचिव सदस्य होगा

वेतन एवं पदावधि :—

राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जायें।

राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता :— (धारा 21) :—

राष्ट्रीय आयोग की निम्नलिखित अधिकारिता होगी —

(1) वह ऐसे वादों को ग्रहण कर सकेगा जहां माल माल या सेवाओं का मूल्य अथवा दावा प्रतिकर यदि कोई हो 20 लाख रु० से अधिक है

(2) वह किसी राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकेगा

(3) जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत हो कि राज्य आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है वहां किसी

ऐसे उपभोक्ता विवाद के जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लम्बित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया गया है अभिलेखों को मंगा सकेगा और समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

राष्ट्रीय आयोग के अधिकार एवं प्रक्रिया :- (धारा 22) —

राष्ट्रीय आयोग को अपने समक्ष किसी परिवाद पत्र या कार्यवाही को निपटाने में निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

1- धारा 13 की उपधारायें 4, 5 तथा 6 में यथाविनिष्ट सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी

2- विरोधी पक्षकार को यह निर्देश देते हुये यह आदेश देने की शक्ति होगी कि वह धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (झ) में निर्दिष्ट कोई एक या अधिक बातें करें।

और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये।

अपील :— (धारा 23)

राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

धारा 21(क)(i) के अन्तर्गत

राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रयुक्त अधिकारों के सम्बन्ध में ऐसी अपीलें हो ~~सकेगीं~~ सकेंगीं
अर्थात जब राष्ट्रीय आयोग उन परिवादों जहां माल या सेवाओं का मूल्य या दावा प्रतिकर यदि कोई हो 20 लाख रु० से अधिक हो के सम्बन्ध में मौलिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है।

उच्चतम न्या० को अपील राष्ट्रीय आयोग के आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर हो सकेगी, परन्तु उच्चतम न्या० 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका पक्ष समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था

आदेशों की अन्तिमता (धारा 24)

जहां जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की जाती है तो वे अन्तिम होंगे

परिवाद की परिसीमा (धारा 24-A)

1- जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई परिवाद दो वर्ष के भीतर ग्रहण करेगा वाद हेतुक उत्पन्न होने के दिनांक से.
2- उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात

Scanned with CamScanner

कोई परिवाद ग्रहण ~~नहीं~~ किया जा सकेगा यदि परिवादी जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण था

परन्तु ऐसे पर्याप्त कारण को लेखबद्ध करना होगा।

प्रशासनिक नियन्त्रण - (धारा 24B)

आदेशों का प्रवर्तन - (धारा 25)

व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों का रद्द किया जाना (धारा 26)

शास्तियां - (धारा 27)

Scanned with CamScanner